



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 01.04.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम हिन्दूपुर में दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट की घटना में कार्यवाही करते हुये 15 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.03.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिन्दूपुर में ईद की नवाज के उपरान्त सुहैब पुत्र शब्बू की अल्टो गाडी की साइड गांव के ही जुनैद पुत्र फुरकान को लग जाने के कारण दोनों में झगडा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग आ गये और एक-दूसरे के साथ लाठी-डण्डो से मारपीट करते हुये पत्थर फेंकने लगे ।



इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पुलिस वादिनी शकीला पत्नी मौ० इरफान निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर की तहरीर पर मु०अ०सं० 54/2025 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/118(1)/352/333/351(3)/324(2)/125 बी०एन०एस० बनाम 1. शोएब पुत्र शब्बू निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर आदि 12 नफर पंजीकृत किया गया है तथा वादी मुन्नु शाह पुत्र अकबर शाह निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर की तहरीर पर मु०अ०सं० 55/2025 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/352/115(2)/125/118(1) बी०एन०एस० बनाम 1. तसलीम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया है ।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 01.04.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों से सम्बन्धित 15 अभियुक्तगण 1.तस्लीम पुत्र मुन्ने 2.वसीम पुत्र इरफान 3.साहिल पुत्र इरफान 4.सुहैल पुत्र फुरकान 5.फुरकान पुत्र बुन्दु हसन 6.जुनैद पुत्र फुरकान 7.शोएब पुत्र शब्बू 8.इरफान अहमद पुत्र बुन्दूहसन 9.दानिश पुत्र फुरकान 10.नजाकत हुसैन पुत्र अली हसन 11.शब्बू पुत्र बसारत 12.मौ० आदिल पुत्र शब्बू 13.इरफान पुत्र हसीनुद्दीन 14.अयान पुत्र शब्बू समस्त निवासीगण ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 15.शहनबाज पुत्र मौ० इस्लाम निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. तसलीम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. वसीम पुत्र इरफान निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. साहिल पुत्र इरफान निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4. सुहैल पुत्र फुरकान निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
5. फुरकान पुत्र बुन्दु हसन निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
6. जुनैद पुत्र फुरकान निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
7. शोएब पुत्र शब्बू निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
8. इरफान अहमद पुत्र बुन्दूहसन निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
9. दानिश पुत्र फुरकान निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
10. नजाकत हुसैन पुत्र अली हसन निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
11. शब्बू पुत्र बसारत निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
12. मौ0 आदिल पुत्र शब्बू निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
13. इरफान पुत्र हसीनुद्दीन निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
14. अयान पुत्र शब्बू निवासी ग्राम हिन्दूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
15. शहनबाज पुत्र मौ0 इस्लाम निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गिरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री विक्रान्त कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार राणा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4. है0का0 860 सदाकत अली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
5. है0का0 811 रजनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
6. का0 2052 नीटू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
7. का0 887 विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
8. का0 222 जसवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
9. का0 2425 अजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
10. का0 2446 देशपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



**प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर दिनांक:- 01.04.2025**

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में दो माह के अन्दर 15वें हिस्ट्रीशीटर को 05 वर्ष की सजा व 5000/- रुपये का अर्थदण्ड ।**

**कार्यवाही:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नसीम उर्फ हड्डू पुत्र अनीस निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, 02 अवैध तमंचे व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 277/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल, अभियोजन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर, अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 01.04.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-3, जनपद बिजनौर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त नसीम उपरोक्त को 05 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त नसीम उपरोक्त के विरुद्ध गौवध, आबकारी व आयुध अधिनियम के करीब 10 अभियोग पंजीकृत है।

**नोट:- माह फरवरी – 2025 से अब तक 10 अभियोगों में 15 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को दण्डित कराया जा चुका है।**

**दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-**

1- नसीम उर्फ हड्डू पुत्र अनीस निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

**आपराधिक इतिहास हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त नसीम (हिस्ट्रीशीट नम्बर 96ए) उपरोक्त –**

1. मु0अ0सं0 267/2017 धारा 2(बी0)(2)/3,330प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 424/2017 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 79/2019 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 418/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 110/2020 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 137/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
7. मु0अ0सं0 277/2020 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 357/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 142/2021 धारा 147/149/324/336/338 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 171/2021 धारा 272/273 भादवि व 60(1) आबकारी अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 01.04.2025

**थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 35/2025 धारा**

**103(1),109(1),115(2),309(6),352,351(3) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.03.2025 को वादी सोमप्रकाश सिंह पुत्र मल्लहू निवासी ग्राम खैरपुर उर्फ प्रतापपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 24.03.2025 को सांय करीब 07.00 बजे अभियुक्तगण 1.अतुल पुत्र राजेश 2.राजू 3.बिडू निवासीगण ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व एक व्यक्ति नाम व पता अज्ञात द्वारा रजत व शुभम पुत्रगण हरिराज के साथ जान से मारने की नियत से पाठल, पेंचकश व डंडे से मारपीट की गयी तथा बीच बचाव में आए वादी व वादी के भजीते राहुल पुत्र ओमप्रकाश से 25,000 /- रुपये छीनने का प्रयास किया गया तथा राजू ने जान से मारने की नियत से राहुल के सीने में पेंचकस से हमला कर दिया, जिससे राहुल की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा शुभम व रजत गंभीर रूप से घायल हो गये व शोर होने पर अभियुक्तगण गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 35/2025 धारा 103(1),109(1),115(2),309(6),352,351(3) बीएनएस बनाम बनाम अतुल आदि पंजीकृत किया गया ।



**नोट –** स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अतुल पुत्र राजेश व राजू पुत्र गजेन्द्र निवासीगण ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 01.04.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हिमंचल उर्फ बिडू पुत्र मुनिदेव त्यागी निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर आकर आत्मसमर्पण किया । अभियुक्त हिमंचल को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हिमंचल उर्फ बिडू पुत्र मुनिदेव त्यागी निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना अफजलगढ**

**दिनांक – 01.04.2025**

**थाना अफजलगढ पुलिस ने 05 वर्षीय बच्ची को आवारा कुत्तों के हमलों से सुरक्षित बचाकर परिजनों को किया सुपुर्द ।**

### **संक्षिप्त विवरण –**

अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.04.2025 को एंटी रोमियो पुलिस टीम, थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा गश्त के दौरान एक 05 वर्षीय बच्ची को आवारा कुत्तों के हमलों से सुरक्षित बचाकर रेस्क्यू किया गया । तत्पश्चात, बच्ची के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया तथा उपरोक्त बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

बच्ची के पिता द्वारा थाना अफजलगढ पुलिस टीम के इस त्वरित और सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया गया है ।

### **रेस्क्यू करने वाली पुलिस टीम -**

- 1.थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.व0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.म0उ0नि0 श्रीमती रीनू थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 4.म0का0 989 सपना थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 01.04.2025

**थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 43/25 धारा 318(4)/318(3)/319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.03.2025 को वादी श्री यशपाल पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता के साथ धोखाधड़ी करके लिफाफे बदलकर 11 हजार रुपये ले लिये गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 43/25 धारा 318(4)/318(3) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.फुरकान पुत्र अख्तर निवासी मुकर्रबपुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 2.भजन पुत्र मामराज निवासी मिर्जापुर खादर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 3.फारुक पुत्र कादर निवासी बुढढाहेडी थाना पथरी जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 4.रेशमा पत्नी अकरम निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी ।

**नोट-** दिनांक 11.03.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.फुरकान पुत्र अख्तर निवासी मुकर्रबपुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड 2.भजन पुत्र मामराज निवासी मिर्जापुर खादर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 3.रेशमा पत्नी अकरम निवासी काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 01.04.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त फारुक पुत्र कादर निवासी ग्राम बुढढाहेडी थाना पथरी जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फारुक पुत्र कादर निवासी ग्राम बुढढाहेडी थाना पथरी जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

### गिरफ्तार अभियुक्त फारुक का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 43/25 धारा 318(4)/318(3)/319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 39/19 धारा 420 भादवि थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 40/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 41/19 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. का0 1075 अजीत कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
5. का0 1059 अमरपाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर



**BIJNOR POLICE**



**थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर**

**मार्च - 2025**

**थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर द्वारा मार्च - 2025 में 11 व्यक्तियों के साथ हुई  
ऑनलाइन रुपयों की धोखा धडी में कुल 10,15,198/- रुपये वापस कराये गये**

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीडितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीडितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०स०	थाना	प्रा०पत्र सं०/ मु०अ०सं०	बरामद धनराशि	माध्यम
1	नगीना देहात	NCRP- 45113	20,000/-	यूपीआई
2	नूरपुर	NCRP-25351	10,000/-	यूपीआई
3	कोतवाली शहर	NCRP-18184	10,000/-	यूपीआई
4	नगीना	NCRP- 15214	8,000/-	यूपीआई
5	कोतवाली शहर	NCRP- 48565	12,000/-	यूपीआई
6	कोतवाली शहर	NCRP- 11766	7,198/-	यूपीआई
7	साइबर थाना	FIR- 0001/2025	9,00,000/-	यूपीआई
8	बढापुर	NCRP- 60342	5,000/-	यूपीआई
9	धामपुर	NCRP- 53377	4,000/-	यूपीआई
10	कोतवाली शहर	NCRP- 06653	20,000/-	यूपीआई
11	धामपुर	NCRP- 31099	19,000/-	यूपीआई
कुल योग			<b>10,15,198/-</b>	



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 01.04.2025

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह मार्च – 2025 में मा0 न्यायालय द्वारा 56 अभियोगों में 70 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित ।**

**कार्यवाही:-**

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप **माह मार्च – 2025** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 56 अभियोगों में 70 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत है।

**दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण –**

क्र0 स0	थाना	मु0अ0स0	धारा	सजा का दिनांक	अपराध शीर्षक	सजा	अभि0 सख्या
1	किरतपुर	90/2020	8/15 एनडीपीएस एक्ट	01.03.2025	जघन्य	02 वर्ष कारावास की सजा व 2,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
2	चांदपुर	716/2018	135 विद्युत अधि0 2003	01.03.2025	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 2,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
3	किरतपुर	120/2017	135 विद्युत अधिनियम 2003	01.03.2025	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 1,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
4	धामपुर	419/1991	457/380/411 भादवि	05.03.2025	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 900/- रु0 अर्थदण्ड	1
5	को0 देहात	529/2016	147/148/304/323/324/14 9/325/506 भादवि	05.03.2025	जघन्य	अभि0गणों को 10 वर्ष का कारावास व 15,000/- रु0 अर्थदण्ड	5
6	नजीबाबाद	009/2025	76 बी0एन0एस0 व 10 पॉक्सो एक्ट	05.03.2025	पॉक्सो एक्ट	6 वर्ष का कारावास व 20,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
7	नगीना	26/2021	8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट	06.03.2025	जघन्य	03 वर्ष का कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड	1
8	को0 शहर	1128/2013	2/3 गैंगस्टर एक्ट	06.03.2025	जघन्य	02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड	1

9	नूरपुर	54/2023	302 भादवि	07.03.2025	जघन्य	आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित	1
10	किरतपुर	139/2015	307/323/324/325/452/504/506 भादवि	07.03.2025	जघन्य	07 वर्ष का कारावास व 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड	4
11	नजीबाबाद	184/1993	393 भादवि	07.03.2025	जघन्य	अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड	1
12	नजीबाबाद	325/1992	25 आर्म्स एक्ट	07.03.2025	अन्य	6 माह का कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड	1
13	किरतपुर	152/2015	25 आर्म्स एक्ट	07.03.2025	अन्य	02 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड	1
14	नगीना देहात	103/2018	411/413/414 भादवि	07.03.2025	अन्य	03 वर्ष का कारावास व 4,000/- रुपये अर्थदण्ड	1
15	नगीना देहात	105/2018	4/25 आर्म्स एक्ट	07.03.2025	अन्य	6 माह का कारावास व 500/- रुपये अर्थदण्ड	1
16	शेरकोट	174/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
17	शेरकोट	363/2019	13 जी एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 300/-रु0 अर्थदण्ड	1
18	स्योहारा	49/2020	13 जी एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 100/-रु0 अर्थदण्ड	1
19	शेरकोट	1516/2004	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 800/-रु0 अर्थदण्ड	1
20	शेरकोट	60/2015	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/-रु0 अर्थदण्ड	1
21	शेरकोट	208/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
22	नूरपुर	20/2001	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
23	चांदपुर	280/2002	25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
24	नहटौर	331/2020	323/504 भादवि	08.03.2025	अन्य	प्रत्येक को मा0न्या0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1000/-रु0 अर्थदण्ड	2

25	को0 शहर	792/2011	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
26	शेरकोट	369/2022	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 2,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
27	शेरकोट	94/2018	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 2,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
28	स्योहारा	215/2008	4/25 आर्म्स एक्ट	08.03.2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
29	रेहड	123/2015	279/337/338/427 भादवि	10.03.2025	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 2,500/-रु0 अर्थदण्ड	1
30	अफजलगढ	288/2017	294 भादवि	10.03.2025	जघन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 1,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
31	कोतवाली शहर	114/1991	394 भादवि	10.03.2025	जघन्य	02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 1,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
32	धामपुर	484/1995	323/324/504 भादवि	17.03.2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1,000 – 1,000/-रु0 अर्थदण्ड	2
33	नूरपुर	258/2013	307/420 भादवि व 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु कुरता अधि0	18.03.2025	जघन्य	अभियुक्त को 09 माह का कारावास व 2,050/-रु0 अर्थदण्ड	1
34	शिवाला कला	672/2009	4/25 आर्म्स एक्ट	18.03.2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 600/-रु0 अर्थदण्ड	1
35	धामपुर	1515/2006	4/25 आर्म्स एक्ट	19.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
36	स्योहारा	46/2005	323/504/427 भादवि	20.03.2025	अन्य	अभि0गणों को मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/-रु0 अर्थदण्ड	4
37	नजीबाबाद	399/2018	323/504 भादवि व 3(1)द ,3(1)ध एससी/एसटी एक्ट	20.03.2025	जघन्य	अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 12,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
38	नजीबाबाद	279/2001	379/411 भादवि	20.03.2025	जघन्य	अभि0 को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 2500/-रु0 अर्थदण्ड	1
39	नगीना देहात	99/2018	25 आर्म्स एक्ट	21.03.2025	अन्य	06 माह कारावास की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1

40	नगीना देहात	98/2018	411/413/414/420/467/468/471 भादवि	21.03.2025	जघन्य	प्रत्येक को 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 6,000/- रू0 अर्थदण्ड	3
41	अफजलगढ	128/2012	279/338/427 भादवि	21.03.2025	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1500/- रू0 अर्थदण्ड	1
42	नगीना देहात	333/2020	8/20 एनडीपीएस एक्ट	21.03.2025	जघन्य	02 वर्ष कारावास की सजा व 2,000/- रू0 अर्थदण्ड	1
43	अफजलगढ	140/2013	279/337/338/427 भादवि	24.03.2025	अन्य	अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 2,500 /- रू0 अर्थदण्ड	1
44	को0 शहर	57/2010	363/366/376 भादवि	24.03.2025	पॉक्सो एक्ट	अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 1,30,000/- रू0 अर्थदण्ड	1
45	बढापुर	258/2023	380 भादवि	25.03.2025	जघन्य	01 वर्ष 02 माह साधारण कारावास की सजा व 2,000/- रू0 अर्थदण्ड	1
46	चांदपुर	759/2019	21/22 एनडीपीएस एक्ट	25.03.2025	जघन्य	05 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 6000/- रू0 अर्थदण्ड	1
47	चांदपुर	619/2023	420/411 भादवि	25.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1,000/- रू0 अर्थदण्ड	1
48	नूरपुर	354/2023	420 भादवि	25.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रू0 अर्थदण्ड	1
49	नूरपुर	193/2023	420 भादवि	25.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि व 500/- रू0 अर्थदण्ड	1
50	किरतपुर	266/2019	8/20 एनडीपीएस एक्ट	26.03.2025	जघन्य	10 वर्ष 02 माह कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रू0 अर्थदण्ड	1
51	बढापुर	205/2020	13 जुआ अधिनियम	28.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 50/- रू0 अर्थदण्ड	1
52	नूरपुर	442/2024	4/25 आर्म्स एक्ट	28.03.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि व 500/- रू0 अर्थदण्ड	1
53	नहतौर	87/2020	307/323/504 भादवि	29.03.2025	जघन्य	02 साल सश्रम कारावास की सजा व 1,500/- रू0 अर्थदण्ड	1
54	चाँदपुर	247/2019	21/22 एनडीपीएस एक्ट	29.03.2025	जघन्य	03 वर्ष 06 माह कठोर कारावास की सजा व 3,000/- रू0 अर्थदण्ड	1
55	धामपुर	450/2018	25 आर्म्स एक्ट	29.03.2025	अन्य	01 वर्ष कारावास की सजा व 5000/- रू0 अर्थदण्ड	1
56	धामपुर	244/2018	302 सपठित धारा 120बी,394 भादवि	29.03.2025	जघन्य	आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रु अर्थदण्ड	1